महत्वपूर्ण

संख्या-12/2016/1663/31-2016-43/2015

प्रेषक,

दीपक सिंघल,

मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग **लखनऊः** **दिनांकः 14 जुलाई, 2016**

विषयः- वर्ष 2016-17 हेतु चिन्हित विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों का जनपद एवं मण्डल स्तर पर कार्यान्वयन एवं समीक्षा हेतु प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-08/2016/1149/31-2016-43/2015 दिनांक 10 मई, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद एवं मण्डल स्तर पर कार्यान्वयन एवं समीक्षा हेतु चिन्हित 53 विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों को प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में निहित 53 कार्यक्रमों/योजनाओं में से 50 कार्यक्रमों के 80 प्रपत्र निर्धारित कर कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाइट **http://pid.up.nic.in** पर उपलब्ध है। शेष 03 कार्यक्रमों यथा नगर विकास विभाग के ''अमृत का प्रभावी कार्यान्वयन'', लघु उद्योग विभाग के ''प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार गारंटी योजना लागू किया जाना'' एवं परिवहन विभाग के ''प्रदेश में स्मार्ट कार्ड आधारित वाहनों के पंजीकरण की व्यवस्था लागू किया जाना'' के प्रपत्र यथाशीघ्र वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएगें। वेबसाइट पर डाटा इन्ट्री का कार्य जनपद स्तर पर किया जाएगा। मण्डलायुक्त अपने मण्डल के अधीन जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा फीड किए गए आकड़ों की समीक्षा करेंगे, परन्तु मण्डल स्तर पर डाटा में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। डाटा इन्ट्री हेतु आवश्यक अनुदेश एवं जनपदवार यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड पूर्व में ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। डाटा इन्ट्री के समय यदि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किसी प्रकार की समस्या आती है, तो इस सम्बन्ध में एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश के अधिकारी श्री नवीन कपूर को ई-मेल **naveen.kapoor@nic.in** के माध्यम से अवगत कराएं, जिससे समस्या का समाधान यथाशीघ्र किया जा सके।

3. समीक्षा हेतु उपलब्ध कराए जा रहे प्रपत्रों को निर्धारित करने में यद्यपि अत्यन्त गम्भीरता एवं सावधानी बरती गयी है, तथापि यह सम्भव है कि इन प्रपत्रों में निर्धारित कार्यक्रमों से सम्बन्धित कोई महत्वपूर्ण बिन्दु छूट गया हो अथवा कोई बिन्दु प्रासंगिक न हो या उस प्रपत्र को भरने में कोई कठिनाई व समस्या हो। यदि ऐसा है तो स्पष्ट विवरण देते हुए प्रपत्र में वांछित विलोपन, परिवर्द्धन या संशोधन सम्बन्धी अभिमत एवं सुझाव यथाशीघ्र कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को प्रेषित कर दिए जाएं ताकि उनका परीक्षण करके प्रपत्र को शुद्ध एवं और अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

कृपया उपर्युक्त शासनादेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं समीक्षा सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(दीपक सिंघल)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या-12/2016/1663(1)/31-2016-43/2015 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अध्यक्ष राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव/सचिव, (संलग्न सूची के अनुसार) उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आपके विभाग से सम्बन्धित कार्यक्रमों के निर्धारित प्रपत्र में किसी प्रकार का संशोधन/परिमार्जन आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें ताकि प्रपत्रों को यथाशीध्र संशोधित कर जनपदों को प्रेषित किया जा सके। कार्यक्रमों का ससमय कार्यान्वयन हेतु जनपदवार लक्ष्य निर्धारित कराकर जनपदों को प्रेषित करने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य मुख्यालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संलग्नक प्रपत्रों को वेबसाईट पर यथाशीध्र अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-12/2016/1663(2)/31-2016-43/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक

क्र0सं0	विभाग का नाम
1.	वित्त
2.	कृषि
3.	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
4.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
5.	पशुधन
6.	लोक निर्माण
7.	ऊर्जा
8.	माध्यमिक शिक्षा
9.	बेसिक शिक्षा
10.	व्यावसायिक शिक्षा
11.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
12.	बाल विकास एवं पुष्टाहार
13.	समाज कल्याण
14.	अल्पसंख्यक कल्याण
15.	खाद्य एवं रसद
16.	राजस्व
17.	श्रम
18.	समग्र ग्राम विकास
19.	ग्राम विकास
20.	नगर विकास
21.	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
22.	नियोजन
23.	वन
24.	पंचायती राज
25.	सिंचाई एवं जल संसाधन
26.	लघु उद्योग
27.	विकलांग कल्याण
28.	आवास एवं शहरी नियोजन
29.	महिला कल्याण।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।